

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

22

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला - अलवर

किरम मुकदमा अनारखी बनाम गुरभी सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

16/7/14

आज यह प्रार्थना पत्र वसीम प्रार्थी ने मुकदमा के साथ पेश किया वसीम प्रार्थी की एक पक्षीय क्लेम डनी गई।
 वसीम वासी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, 21 पृष्ठ पत्र एवं क्लेम (एक पक्षीय वसीम प्रार्थी पर जो डने पर प्रथम इच्छा में डने व सुविधा का प्रार्थी के पक्ष में प्रस्तुत होता है। इन प्रार्थीगत 1 म 7 को क्लेम के 28/8/14 तक जय अर्थात् निजवासे से पावंड किया जाता है कि वे विक्रिड काणकनं 180 वाडे ग्राम जोधपुरी रिकॉर्ड 21 म 7 के राजस्व रिकॉर्ड को यथास्थान बनायी रहे। प्रार्थना पत्र डने पर प्रार्थी तबकी जय रिकॉर्ड एवं वासी तबकी से डने डने 28/8/14 को पेश है।

वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी है।
 पेश किया
 नकल दिलाई गई। वास्ते पत्रावली
 दिनांक को का हो।

मैज

नम्बर
अहकाम
की तारीख

फर्द अहकाम
(नियम-26)

बनाम

अतर खाँ

गुरभीत

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
हुकम जो जारी हुआ

26.12.23 तलबी तारीख अनुपस्थित
साबिक आदेश दिनांक 31.3.22
की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी शर्तों से अंतिम मोर्दा
दिनांक 15.1.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

15.1.24 पत्रावली पेश। P.O. साक्ष्य
..... को पेश हो।
पत्रावली दिनांक 12.2.24

राजेंद्र

12.2.24 पत्रावली तलबूर हुई। पत्रावली शिवावधि से तलबी में
है। तलबी हेतु बार-बार मोर्दा जमा गया है। तथा
अंतिम अवसर के रूप में भी अनेक अवसर इस भाषण
के अधिनियम जमा हैं कि अहमदीगण की तलबी हेतु तलबना
पेश करें। इसके अलावा आदिनांक तक तलबना पेश नहीं
हुआ है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 9 नियम 5 के
अनुच्छेद में पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फसल
सूधार होकर नखर से कम हो। बाद तलबना तलबी के लिये
नद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राजेंद्र